न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– शिवभगवान वगैरह बनाम सांवरमल आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट मु.नं0 110 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
24.12.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय टी0आई0 पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमियां ख0नं0 235, 239, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 3.1600 है0 वाके ग्राम गोवटी प0ह0 गोवटी भू0आ0नि0 क्षेत्र डूकिया तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि जरिये विरासत से प्राप्त होकर पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 1 ता 8 एक ही पूर्वज धन्ना के वारिसान है, जिनकी वंशावली मद सं0 3 अनुसार है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 1 ता 8 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि भूमियां है,जिसमें प्रार्थी सं0 1 ता 3 प्रत्येक का हिस्सा 10/63–10/63, अप्रार्थी सं0 1 व 4 प्रत्येक का 1/63+1/7, 1/63+1/7, अप्रार्थी सं0 2, 3 व 5 प्रत्येक का 1/63–1/63 अप्रार्थी सं0 6 ता 8 प्रत्येक का 10/189–10/189 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को शामिल में काश्त करते चले आ रहे है तथा कभी–कभी अन्दाज से उक्त कृषि भूमि पर काश्त करते है। किन्तू परिवार में पारिवारिक सदस्य बढ जाने के कारण अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 व 6 उक्त कृषि भूमि में से अधिक से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा कर काश्त करने की कुचेष्टा करने लग गये है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत रूप से बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमियों के बंटवारे को लेकर प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 1 ता 8 में काफी प्रेम व सदव्यवहार रहा है, किन्तु विगत 2–3 माह से अप्रार्थी सं0 1 ता 8 बंटवारे को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा बार–बार निवेदन कर विधिवत बंटवारा करवाने के लिए कहा जाता रहा है, किन्तु अप्रार्थी सं0 1 ता 8 टालमटोल कर समय निकालते रहते है। प्रार्थीगण ने 16.09.24 को अप्रार्थीगण को ज्यादा जोर देकर बंटवारा के लिए कहा तो अप्रार्थी सं0 1 ता 8 नाराज हो गये तथा कहा कि आप अपना हिस्सा भी हमें विक्रय कर दो तथा वादग्रस्त भूमि पर से चले जाओ। आपकी यहां कोई कृषि भूमि नहीं है। उक्त कृषि भूमि हमारी है। अप्रार्थी सं0 1 ता 8 आपस में मिले हुए है तथा प्रार्थीगण को बलात रूप से जबरन लठ के बल पर बेदखल करना चाहते है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया है कि इसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 8 क़ो जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वर्णित वादग्रस्त भूमियों की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाई रखे। बहस के दौरान वकील उभय पक्षद्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट एंव जवाब आवेदन पत्र में अंकित कथनों को ही दोहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध टी0आई0 कंफर्म की जावे। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

द्वारा दिनांक 17.10.24 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम गोवटी प0ह0 गोवटी, भू0अ0नि0 क्षेत्र डूकिया तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 235, 239, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 3.1600 है0 के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अं0 धारा 53,188 आरटीएक्ट पेश किया है। वाद में अप्रार्थी सं0 2 ता 8 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। पत्रावली वर्तमान में तलबी एंव जवाब दावा में विचाराधीन है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 131/2024 उनवानी शिवभगवान वगैरह बनाम सांवरमल आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम गोवटी प0ह0 गोवटी, भू0अ0नि0 क्षेत्र डूकिया तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 235, 239, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 3.1600 है0 के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कविता गोदारा,
(R.A.S.)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर